छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी, 2009

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य को केरोसीन का आबंटन एवं वितरण

1. (*क्र. 552) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य को केन्द्र से प्रतिमाह कितना केरोसीन आबंटन प्राप्त होता है ? (ख) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिकार्ड पर कितना केरोसीन देने का नियम बनाया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) 15735 किलो लीटर. (ख) प्रति राशन कार्ड 3.85 लीटर के मान से जिलों को केरोसीन आवंटित किया जा रहा है.

धान हेतु बारदाना की खरीदी

2. (*क्र. 694) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में धान खरीदी हेतु कुल कितना नग बारदाना, कुल कितनी राशि का, किस माध्यम से खरीदा गया है ? (ख) उक्त अवधि में वर्ष 2008-09 को छोड़कर जिलेवार कुल कितना-कितना धान खरीदा गया है तथा निराकरण के बाद कितना-कितना स्कंध शेष है ? वर्षवार, मदवार हानि की स्थिति क्या-क्या है ? हानि की प्रतिपूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2006-07 में 207.33 करोड़ रुपये मूल्य के 9,48,25,500 नग, खरीफ वर्ष 2007-08 में 214.45 करोड़ रुपये मूल्य के 10,04,12,000 नग तथा खरीफ वर्ष 2008-09 में 185.60 करोड़ रुपये के 7,73,32,500 नग बारदाने क्रय किए गए. उपरोक्त अवधि में सभी बारदाने डी. जी. एस. एंड डी. से क्रय किये गये हैं. (ग) प्रश्नांकित अवधि में समर्थन मूल्य पर मार्कफेड द्वारा क्रय धान, एवं शेष धान के स्कंध की जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. खरीफ वर्ष 2006-07 में मार्कफेड को धान उपार्जन कार्य में 234.63 करोड़ रुपये की हानि हुई. मदवार हुई हानि का विवरण प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है. वर्ष 2007-08 में 209.33 करोड़ रुपये की हानि अनुमानित है, किन्तु मदवार हानि का आंकलन अंकेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ज्ञात हो सकेगा. 2006-07 के अंतिम अंकेक्षित लेखों के आधार पर धान उपार्जन की विभिन्न मदों के प्रासंगिक व्ययों के अंतिम रूप से निर्धारण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जा चुके हैं. खरीफ वर्ष 2007-08 के धान उपार्जन लेखों का अंकेक्षण कार्य प्रचलित है, अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जावेगा.

विधान सभा क्षेत्र पाली-तानाखार के अंतर्गत उद्योग एवं कोल ब्लॉक आवंटन हेतु अनुमति

3. (*क्र. 296) **श्री रामदयाल उइके** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पाली-तानाखार के अंतर्गत 1-1-07 के बाद से आवास एवं पर्यावरण विभाग से उद्योग लगाने एवं कोल ब्लॉक आवंटन हेतु किन-किन व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की गई है ? नाम पता सहित जानकारी दी जाये ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित अनुमति से कितनी-कितनी राजस्व एवं वन भूमि अधिग्रहित की जाना प्रस्तावित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में दिनांक 01-01-2007 के बाद की अवधि में शासन द्वारा दिनांक 08-05-2007 को एक खदान मेसर्स रानी अटारी अण्डरग्राउण्ड माईन प्रोजेक्ट, साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ग्राम-रानी अटारी, तहसील-कटघोरा को 0.18 मिलियन टन/वर्ष कोल उत्खनन हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापना सम्मति प्रदान की गई है. कोई उद्योग स्थापित नहीं हुए. (ख) दिनांक 01-01-2007 के पश्चात् किसी भी उद्योग के राजस्व, वन एवं निजी भूमि आबंटन/अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं.

---

† परिशिष्ट "एक"

एल. पी. जी. से चलने वाले पंजीकृत वाहन

4. (*क्र. 557) **श्री नंदकुमार साहू :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में एल. पी. जी. से चलने वाले कितने वाहन पंजीकृत हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) प्रदेश में कितने आटो एल. पी. जी. सेंटर हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रदेश में एल. पी. जी. से चलने वाली पंजीकृत वाहनों की संख्या 10,067 है. जिलेवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) प्रदेश में 09 आटो एल. पी. जी. रिफिलिंग सेन्टर एवं 44 आटो एल. पी. जी. रेट्रोफिटर सेन्टर है.

रायगढ़ एवं कोरबा जिले के उद्योगों का पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

5. (*क्र. 695) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2007-08 एवं 2008-09 में 15-01-09 तक रायगढ़ एवं कोरबा जिले में स्थित किन-किन उद्योगों के निरीक्षण में पर्यावरण संरक्षण के मापदण्डों का पालन होना नहीं पाया गया ? (ख) जिन उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्ड के पालन में चूक की है उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

रायपुर जिले में बी. पी. एल./अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या

6. (*क्र. 713) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के अंतर्गत विकासखण्ड धरसींवा, तिल्दा के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अन्त्योदय योजना के तहत कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? (ख) बी. पी. एल./अन्त्योदय योजना में पंजीयन हेतु पात्रता के क्या मापदण्ड हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायपुर जिले के अंतर्गत धरसींवा विकासखण्ड एवं तिल्दा विकासखण्ड के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अन्त्योदय योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या निम्नानुसार है :—

विकासखण्ड	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या	अन्त्योदय योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या
धरसींवा	26877	3876
तिल्दा	30045	5212

(ख) बी. पी. एल. योजना में पंजीयन हेतु पात्रता का मापदण्ड केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है. इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 13 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

(1) कृषि योग्य भूमि का रकबा
(2) मकान का प्रकार
(3) वस्त्रों की उपलब्धता
(4) खाद्यान्न सुरक्षा
(5) स्वच्छता
(6) उपलब्ध घरेलू उपभोक्ता सामग्री
(7) साक्षरता
(8) परिवार की श्रम शक्ति का स्तर
(9) आजीविका का साधन
(10) बच्चों की स्थिति
(11) ऋणग्रस्तता का प्रकार
(12) पलायन का कारण
(13) परिवार द्वारा चाही गई सहायता की प्राथमिकताएं.

† परिशिष्ट "दो" †† परिशिष्ट "तीन"

अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत बी. पी. एल. सर्वे सूची में शामिल अति गरीब परिवारों के साथ-साथ ऐसे पात्र अति गरीब परिवार भी शामिल किये जा सकते हैं, जिनके नाम बी. पी. एल. सूची में शामिल नहीं है. अति गरीब परिवारों के चिन्हांकन हेतु कुपोषण से प्रभावित क्षेत्र में निवासरत परिवार, विशेष पिछड़ी जनजातियां, भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत कृषक, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में दैनिक आजीविका कमाने वाले निर्धन समूह, निराश्रित एवं नि:शक्तजन व्यक्ति, जिनके पास स्थायी आजीविका अथवा सामाजिक सहायता प्राप्त न हो आदि निर्धन समूहों को आधार बनाये जाने के निर्देश हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य में नये नगर पंचायतों की स्थिति

7. (*क्र. 602) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008-09 में कुल कितने ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किया गया ? नाम सहित जिलेवार पृथक-पृथक बतायें. (ख) उक्त नगर पंचायतों में अधिकारी एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने कार्यरत हैं ? प्रत्येक नगर पंचायत का पृथक-पृथक बतायें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008-09 में 57 ग्राम पंचायतों को विघटित कर 51 नगर पंचायतों का गठन किया गया है. नाम सहित जिलेवार विवरण परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) नगर पंचायतों में स्वीकृत पद एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

बेमेतरा एवं बेरला नगर पंचायत में शिक्षाकर्मी के स्वीकृत पद

8. (*क्र. 611) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा एवं बेरला नगर पंचायत में वर्ष 07-08 एवं 08-09 में शिक्षाकर्मी के कब-कब, किस-किस श्रेणी के पद स्वीकृत किये गये ? (ख) क्या सभी पद पर पदस्थापना हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगरपालिका बेमेतरा एवं नगर पंचायत बेरला में वर्ष 07-08 एवं 08-09 में निम्नानुसार शिक्षाकर्मियों के पद स्वीकृत किये गये हैं :—

शिक्षाकर्मी वर्ग	नगर पालिका बेमेतरा		नगर पंचायत बेरला	
	स्वीकृत पद संख्या	स्वीकृत आदेश दिनांक	स्वीकृत पद संख्या	स्वीकृत आदेश दिनांक
	वर्ष 2007-2008		**वर्ष 2007-2008**	
वर्ग-1	07	19-11-07	03	19-11-07
	01	19-11-07	-	-
	वर्ष 2008-2009		**वर्ष 2008-2009**	
वर्ग-1	-	-	05	16-9-08
वर्ग-2	-	-	02	16-9-08
वर्ग-3	23	30-06-08	12	16-9-08

(ख) जी नहीं. नगर पालिका बेमेतरा में शिक्षाकर्मियों के पदों की पूर्ति विधान सभा चुनाव आदर्श संहिता लागू होने के कारण पदपूर्ति की कार्यवाही लंबित रही. चुनाव अचार संहिता समाप्ति उपरांत भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है. नगर पंचायत बेरला में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 के 05 पदों पर पदोन्नति की गई है. एक पद समाप्त किया गया है. शेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है.

कोटा विधान सभा क्षेत्र में धान खरीदी तथा ग्रेडिंग मशीन की व्यवस्था

9. (*क्र. 700) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोटा विधान सभा क्षेत्र में

† परिशिष्ट "चार"

धान खरीदी प्रारंभ दिनांक से दिनांक 24-01-2009 तक समर्थन मूल्य पर कितनी धान की खरीदी की गई ? (ख) क्या प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र पर ग्रेडिंग मशीन की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो धान की ग्रेड जांच करने की क्या व्यवस्था है ? (ग) धान खरीदी केन्द्र से भंडारण हेतु परिवहन की क्या दर है ? क्या परिवहनकर्ता की नियुक्ति निविदा के आधार पर हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2008-09 में प्रश्नांकित अवधि के दौरान कोटा विधान सभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर कुल 157838.40 क्विंटल धान की खरीदी की गई. (ख) जी नहीं. धान की गुणवत्ता की जांच हेतु धान खरीदी केन्द्र संचालित करने वाली प्रत्येक सहकारी समिति के 02 कर्मचारियों को प्रतिवर्ष भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है. साथ ही धान की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मार्कफेड द्वारा भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला में संबंधित धान के सेम्पल की जांच कराई जाती है. (ग) धान खरीदी केन्द्र से धान के परिवहन हेतु परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति निविदा के आधार पर की गई है. वर्तमान खरीफ वर्ष 2008-09 में धान खरीदी केन्द्रों से धान के परिवहन हेतु निर्धारित दर निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	परिवहन दर लोडिंग/अनलोडिंग सहित
1.	0-8 कि. मी. लोकल	1490 रु. प्रति दस टन
2.	0-25 कि. मी.	9.60 रु. प्रति टन, प्रति कि. मी.
3.	0-50 कि. मी.	6.20 रु. प्रति टन, प्रति कि. मी.
4.	0-75 कि. मी.	4.94 रु. प्रति टन, प्रति कि. मी.
5.	0-100 कि. मी.	3.55 रु. प्रति टन, प्रति कि. मी.
6.	0-200 कि. मी.	3.10 रु. प्रति टन, प्रति कि. मी.

अम्बिकापुर में कालोनाईजर एवं भू-स्वामियों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों द्वारा कालोनी बनाये जाने की शिकायत

10. (*क्र. 345) **श्री अमरजीत भगत** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में अम्बिकापुर के किन-किन कालोनाईजरों एवं भू-स्वामियों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों द्वारा कालोनी बनाये जाने एवं अन्य अनियमिताओं पर आपत्ति/शिकायत कलेक्टर सरगुजा को किन-किन व्यक्तियों द्वारा किस-किस दिनांक को प्राप्त हुई है ? (ख) शिकायत पर कलेक्टर सरगुजा द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) कलेक्टर सरगुजा को प्रश्नगत् कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

11. (*क्र. 693) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन अंतर्गत वर्ष 2008-09 में भारत सरकार से कुल कितनी राशि 15-01-2009 तक की स्थिति में किस-किस काम एवं कहां-कहां के लिए प्राप्त हुई हैं ? (ख) उक्त राशि में से मदवार कुल कितनी-कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन अंतर्गत वर्ष 2008-09 में भारत सरकार से 15-01-2009 तक की स्थिति में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई हैं. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

जिला जांजगीर-चांपा में गरीबी रेखा के अपात्र राशन कार्डों की संख्या

12. (*क्र. 603) **महंत रामसुंदर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में 31 दिसम्बर, 2008 की तिथि में कुल कितने गरीबी रेखा के राशन कार्ड हैं ? (ख) उक्त तिथि तक कितने राशन कार्डों को अपात्र घोषित किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में प्रश्नांकित अवधि में कुल 235167 राशन कार्ड गरीब हितग्राहियों को जारी किये गये हैं. (ख) किसी भी राशन कार्ड को अपात्र घोषित नहीं किया गया है.

औद्योगिक क्षेत्र उरला सिलतरा में प्रदूषण की स्थिति

13. (*क्र. 712) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा में वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में प्रदूषण के आंकड़े कब-कब, किनके द्वारा एकत्रित किए गए ? (ख) पर्यावरणीय मापदण्डों से उक्त क्षेत्र कितना अधिक दूषित पाया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा में वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 की अवधि में किये गये परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के आंकड़े क्रमशः प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" के अनुसार है. उक्त आंकड़े छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कनिष्ठ वैज्ञानिक, प्रभारी रसायनज्ञ, प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक द्वारा एकत्रित किये गये हैं. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार है.

----

† परिशिष्ट "पांच"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 694) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2006-07		खरीफ वर्ष 2007-08	
		उपार्जित धान की मात्रा	शेष धान	उपार्जित धान की मात्रा	शेष धान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	9231770	27444.38	7568240	0.0
2.	धमतरी	3114230	760.87	2130660	0.0
3.	महासमुंद	3768940	5754.75	2937710	0.0
4.	बिलासपुर	2682580	0.0	2687980	0.0
5.	जांजगीर	4099260	0.0	3475650	0.0
6.	कोरबा	286110	0.0	281110	0.0
7.	दुर्ग	6039080	0.0	4668430	0.0
8.	राजनांदगांव	2100640	0.0	1770460	0.0
9.	कबीरधाम	612430	0.0	664510	0.0
10.	रायगढ़	2411900	0.0	2534940	0.0
11.	जशपुर	123270	0.0	143530	0.0
12.	सरगुजा	828470	0.0	984160	0.0
13.	कोरिया	116410	0.0	111060	0.0
14.	बस्तर	517000	0.0	617250	0.0
15.	कांकेर	1006380	0.0	753110	0.0
16.	दंतेवाड़ा	139730	0.0	180150	0.0
	योग	**37078200**	**33960.00**	**31508950**	**0.0**

टीप :- खरीफ वर्ष 2007-08 के दौरान समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का अंकेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं वर्तमान में किसी भी जिले में धान के शेष स्कंध उपलब्ध होने की जानकारी नहीं है.

प्रपत्र "ब"

क्र. (1)	मद (2)	खरीफ वर्ष 2006-07 में हानि की राशि (करोड़ रुपये में) (3)
1.	ब्याज हानि	153.72
2.	कस्टम मिलिंग चार्ज	35.08
3.	मंडी लेबर चार्ज	18.40
4.	सूखत	2.86
5.	परिवहन व्यय	21.24
6.	बारदानों में प्रवेश कर	3.33
	योग	**234.63**

टीप :- खरीफ वर्ष 2007-08 में उपर्जित धान के अंकेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अतः मदवार हानि का आंकलन संभव नहीं है.

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 557) के भाग (क) की जानकारी]

प्रश्नांश "क" से संबंधित जानकारी

स. क्र.	जिले का नाम	एल. पी. जी. से चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या	आटो एल. पी. जी. रिफलिंग सेंटर की संख्या	आटो एल. पी. जी. रेट्रोफिटर सेंटर की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	5,358	06	07
2.	जगदलपुर	167	निरंक	निरंक
3.	बिलासपुर	846	01	03
4.	दुर्ग	1,651	01	12
5.	राजनांदगांव	496	निरंक	01
6.	अंबिकापुर	246	निरंक	04
7.	धमतरी	202	निरंक	02
8.	महासमुंद	201	निरंक	निरंक
9.	कांकेर	24	निरंक	01
10.	दन्तेवाड़ा	05	निरंक	निरंक
11.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक
12.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक
13.	जशपुर	45	निरंक	02
14.	कोरिया	38	निरंक	01
15.	जांजगीर-चांपा	194	निरंक	निरंक
16.	रायगढ़	468	01	07
17.	कबीरधाम	14	निरंक	निरंक
18.	कोरबा	112	निरंक	04
	कुल योग	**10,067**	**09**	**44**

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 695) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 (15-01-2009 तक) की अवधि में रायगढ़ एवं कोरबा जिले में स्थित उद्योग, जिनमें पर्यावरण संरक्षण के मापदण्डों का पालन नहीं पाया गया

जिला-रायगढ़

अवधि वर्ष 2007-08

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता
1.	मे. सेलेना स्टील लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़
2.	मे. आर. आर. इनर्जी. लिमिटेड, ग्राम-गढ़उमरिया, जिला-रायगढ़
3.	मे. माँ शाकम्बरी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सम्बलपुरी, जिला-रायगढ़
4.	मे. एम. एस. पी. स्पंज आँयरन लिमिटेड, ग्राम-मनुआपाली, जिला-रायगढ़
5.	मे. श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़
6.	मे. शिवशक्ति स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चक्रधरपुर, जिला-रायगढ़
7.	मे. मोनट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़
8.	मे. माँ मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, जिला-रायगढ़
9.	मे. रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम- देलारी, जिला-रायगढ़
10.	श्री रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बढ़ेगुमड़ा जिला-रायगढ़
11.	मे. इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम- कोटमार, महापल्ली, जिला -रायगढ़
12.	मे. सालासार स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़
13.	मे. बी. एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़
14.	मे. श्री अम्बिका इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़
15.	मे. रायगढ़ आँयरन इण्ड. लिमिटेड, ग्राम-पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़
16.	मे. माँ काली एलायज उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़
17.	मे. व्ही. ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़
18.	मे. वंदना इनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक क्षेत्र पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़

अवधि वर्ष 2008-09

1.	मे. महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनीफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़
2.	मे. इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, महापल्ली, जिला-रायगढ़
3.	मे. ओरियन फेरो एलाय प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़
4.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, तह. खरसिया, जिला-रायगढ़
5.	मे. नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़
6.	मे. व्ही. ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़
7.	मे. वंदना इनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक पार्क पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़

जिला-कोरबा

अवधि वर्ष 2007-08

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता
1.	मे. छ.ग. राज्य विद्युत मंडल, कोरबा (पूर्व)
2.	मे. छ.ग. राज्य विद्युत मंडल, कोरबा (पश्चिम)
3.	मे. बी. सी. पी. पी. कंपनी लिमिटेड, जमनीपाली, कोरबा
4.	मे. आर. आर. फेरो एलॉय, औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा
5.	मे. धर्मिट एलॉय, प्लाट नं. 68, औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा
6.	मे. शिवा उद्योग, प्लाट नं. 72, 79 औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा
7.	मे. स्टॉर एलॉयज, प्लॉट नं. 69, औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा

अवधि वर्ष 2008-09

1.	मे. दीपका विस्तार परियोजना, एस. ई. सी. एल. दीपका क्षेत्र, जिला-कोरबा
2.	मे. गेवरा ओपन कास्ट कोल माईंस, एसईसीएल गेवरा क्षेत्र, जिला-कोरबा
3.	मे. बी. सी. पी. पी. कंपनी लिमिटेड, जमनीपाली, कोरबा
4.	मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (स्मेल्टर संयत्र) कोरबा
5.	मे. भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (540 मेगावाट विद्युत संयंत्र), कोरबा

प्रपत्र "ब"

प्रश्नांश "क" में उल्लेखित उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

जिला-रायगढ़

अवधि वर्ष 2007-08

क्र. (1)	उद्योग का नाम एवं पता (2)	की गई कार्यवाही (3)
1.	मे. सेलेनो स्टील लिमिटेड ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	उत्पादन सम्मति प्राप्त किये बिना तीसरी किल्न से उत्पादन प्रारंभ करने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के सही संचालन न करने के कारण दिनांक 25-09-2007 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.
2.	मे. आर. आर. इनर्जी. लिमिटेड, ग्राम-गढ़उमरिया, जिला-रायगढ़	उद्योग से निकलने वाले राखड़ को बगैर स्वीकृति के खुले शासकीय भूमि में डम्प किये जाने के कारण माननीय न्यायालय में दिनांक 17-08-2007 को वाद दायर किया गया.
3.	मे. माँ शाकम्बरी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सम्बलपुरी, जिला-रायगढ़.	स्थापित ई. एस. पी. पूर्ण क्षमता से कार्यरत नहीं पाये जाने, किल्न केप से उत्सर्जन पाये जाने एवं प्रोडक्ट हापर सेक्शन से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन पाये जाने के कारण दिनांक 28-05-2007 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.
4.	मे. एम. एस. पी. स्पंज आँयरन लिमिटेड, ग्राम-मनुआपाली, जिला-रायगढ़.	सम्मति प्राप्त किये बिना पॉवर प्लांट एवं एक सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस उत्पादनरत पाये जाने के कारण माननीय न्यायालय में दिनांक 12-6-2007 को वाद दायर किया गया.
5.	मे. श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़.	स्थापित ई. एस. पी. बंद पाये जाने के कारण दिनांक 28-05-2007 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.
6.	मे. शिवशक्ति स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम चक्रधरपुर, जिला-रायगढ़.	स्थापित ई. एस. पी. पूर्ण क्षमता से कार्यरत नहीं पाये जाने, किल्न केप से उत्सर्जन पाये जाने एवं प्रोडक्ट हापर सेक्शन से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन पाये जाने के कारण दिनांक 28-05-2007 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.
7.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़.	ई. एस. पी. को लगातार नहीं चलाने, कूलन डिस्चार्ज, प्रोडक्ट हापर से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन तथा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बोर्ड से स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना स्थापना कार्य किये जाने के कारण दिनांक 20-07-2007 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.
8.	मे. माँ मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, जिला-रायगढ़.	स्थापित ई. एस. पी. व बेग फिल्टर बंद पाये जाने के कारण दिनांक 28-05-2007 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.

(1)	(2)	(3)
9.	मे. रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-देलारी जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
10.	मे. रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ेगुमड़ा, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
11.	मे. इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, महापल्ली जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
12.	मे. सालासार स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
13.	मे. बी. एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
14.	मे. श्री अम्बिका इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
15.	मे. रायगढ़ ऑयरन इण्ड. लिमिटेड, ग्राम-पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
16.	मे. माँ काली एलायज उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
17.	मे. श्री. ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
18.	मे. वंदना इनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक क्षेत्र, पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
अवधि वर्ष 2008-09		
1.	मे. महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनीफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना स्थापना कार्य जारी रखने के कारण दिनांक 28-07-2008 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.
2.	मे. इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, महापल्ली, जिला-रायगढ़	ई. एस. पी. पूर्ण क्षमता से कार्यरत नहीं पाये जाने, किल्न के इमरजेंसी केप से उत्सर्जन तथा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु स्थापित बेग फिल्टर के नहीं चलने से अत्याधिक डस्ट उत्सर्जन पाये जाने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 "क" के तहत् उत्पादन बंद करने तथा विद्युत विच्छेदन बाबत् निर्देश जारी किया गया.
3.	मे. ओरियन फेरो एलाय प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़.	प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर स्थापित किये बिना उत्पादन करने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 "क" के तहत उत्पादन बंद करने तथा विद्युत विच्छेदन बाबत निर्देश जारी किया गया.
4.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, तह.-खरसिया, जिला-रायगढ़.	किल्न केप से उत्सर्जन, कूलर डिस्चार्ज सेक्शन, ऐश साईलो में स्थापित बेग फिल्टर का सतत् संचालन नहीं पाये जाने तथा

(1)	(2)	(3)
		उत्पन्न फ्लाई ऐश को परिसर में व्यवस्थित रूप से भंडारण नहीं करने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत उत्पादन बंद करने तथा विद्युत विच्छेदन बाबत निर्देश जारी किया गया.
5.	मे. नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
6.	मे. वी. ए. पॉवर एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
7.	मे. वंदना इनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.

जिला-कोरबा

अवधि वर्ष 2007-08

1.	मे. छ. ग. राज्य विद्युत मंडल, कोरबा (पूर्व)	राखड़ का उपयोग नियमानुसार न किये जाने के कारण दिनांक 05-01-2008 को न्यायालय में वाद दायर किया गया.
2.	मे. छ. ग. राज्य विद्युत मंडल, कोरबा (पश्चिम)	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
3.	मे. बी. सी. पी. पी. कंपनी लिमिटेड, जमनीपाली, कोरबा	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
4.	मे. आर. आर. फेरो एलॉय, औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
5.	मे. श्रमिट एलॉय, प्लाट नं. 68, औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
6.	मे. शिवा उद्योग, प्लाट नं. 72, 79, औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
7.	मे. स्टॉर एलॉयज, प्लाट नं. 69, औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.

अवधि वर्ष 2008-09

1.	मे. दीपका विस्तार परियोजना, एस. ई. सी. एल., दीपका क्षेत्र, जिला-कोरबा.	बोर्ड की अनुमति के बिना एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के क्षमता विस्तार करने के संबंध में न्यायालयीन वाद दिनांक 01-08-2008 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.

(1)	(2)	(3)
2.	मे. गेवरा ओपन कास्ट कोल माईंस, एस. ई. सी. एल., गेवरा क्षेत्र, जिला-कोरबा.	बोर्ड की अनुमति के बिना एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से बिना पर्यावरणीय स्वीकृत के क्षमता विस्तार करने के संबंध में न्यायालयीन वाद दिनांक 01-08-2008 को माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया.
3.	मे. सी. सी. पी. पी. कंपनी लिमिटेड, जमनीपाली, कोरबा	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 "क" एवं (वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
4.	मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (स्मेल्टर संयंत्र), कोरबा	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.
5.	मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (540 मेगावाट विद्युत संयंत्र), कोरबा.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत् नोटिस जारी किया गया.

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 602) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008-09 में ग्राम पंचायतों के स्थान पर नगर पंचायतों के गठन की जिलेवार जानकारी तथा नवगठित नगर पंचायतों में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत की जानकारी

स. क्र.	जिले का नाम	नगर पंचायत गठन के पूर्व ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	नवगठित नगर पंचायत का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	टुण्डरा	1	टुण्डरा	12	6
2.		छुरा	1	छुरा	12	6
3.		गरियाबंद	1	गरियाबंद	12	42
4.		बिलाईगढ़	1	बिलाईगढ़	12	6
5.		कुंरा	1	कुंरा	12	5
6.		फिंगेश्वर	1	फिंगेश्वर	12	6
7.		मानाकेम्प	1	मानाकेम्प	12	2
8.	धमतरी	1. भखारा 2. भठेली	2	भखारा	12	5
9.		1. मगरलोड 2. भैंसमुण्डी	2	मगरलोड	12	6
10.		नगरी	1	नगरी	14	13
11.		आमदी	1	आमदी	12	7
12.	महासमुंद	तुमगांव	1	तुमगांव	12	3
13.	दुर्ग	उतई	1	उतई	12	7
14.		अर्जुन्दा	1	अर्जुन्दा	12	9
15.		मारो	1	मारो	12	3
16.		चिखलाकसा	1	चिखलाकसा	12	6
17.	राजनांदगांव	छुरिया	1	छुरिया	12	1
18.	कबीरधाम (कवर्धा)	पांडातराई	1	पांडातराई	12	6
19.		बोड़ला	1	बोड़ला	12	8
20.		सहसपुर-लोहारा	1	सहसपुर-लोहारा	12	5
21.		पिपरिया	1	पिपरिया	12	6
22.	बस्तर (जगदलपुर)	1. फरसगांव 2. पासंगी	2	फरसगांव	12	5
23.		बस्तर	1	बस्तर	12	7
24.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	पंखाजूर	1	पंखाजूर	12	5
25.		अंतागढ़	1	अंतागढ़	12	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	बारसूर	1	बारसूर	12	3
27.	बिलासपुर	सिरगिट्टी	1	सिरगिट्टी	14	4
28.		तिफरा	1	तिफरा	14	3
29.		मल्हार	1	मल्हार	12	7
30.		पथरिया	1	पथरिया	12	8
31.		सरगांव	1	सरगांव	12	4
32.		संकरी	1	संकरी	12	5
33.	कोरबा	छुरीकला	1	छुरीकला	12	8
34.		पाली	1	पाली	12	4
35.	जांजगीर-चांपा	चन्द्रपुर	1	चन्द्रपुर	12	2
36.		नवागढ़	1	नवागढ़	12	3
37.		जैजेपुर	1	जैजेपुर	12	2
38.		डभरा	1	डभरा	12	6
39.		सारागांव	1	सारागांव	12	5
40.		राहौद	1	राहौद	12	4
41.	रायगढ़	बरमकेला	1	बरमकेला	12	7
42.		कोकड़ीतराई	1	किरोड़ीमलनगर	12	6
43.		लैलूंगा	1	लैलूंगा	12	5
44.		सरिया	1	सरिया	12	8
45.		पुसौर	1	पुसौर	12	4
46.	जशपुर	कोतबा	1	कोतबा	12	12
47.		1. बगीचा 2. लोटा 3. रतबा	3	बगीचा	12	3
48.		1. कुनकुरी 2. गाड़ाकाटा	2	कुनकुरी	12	26
49.	सरगुजा (अंबिकापुर)	जरही	1	जरही	12	1
50.	कोरिया	खोंगापानी	1	खोंगापानी	14	7
51.		नईलेदरी	1	नईलेदरी	12	4
	योग	**57**	**57**	**51**	**620**	**332**

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 712) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणाम मेसर्स वूलवर्थ इंडिया लिमिटेड, सरोरा औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर

दिनांक	सल्फर डाई ऑक्साईड (माईक्रोग्राम/घनमीटर)	नाईट्रोजन ऑक्साईड्स (माईक्रोग्राम/घनमीटर)	आर. पी. एम. (माईक्रोग्राम/घनमीटर)	एस. पी. एम. (माईक्रोग्राम/घनमीटर)
	मानक-120 (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	मानक-120 (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	मानक-150 (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	मानक-500 (माइक्रोग्राम/घनमीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
02-04-2007	12.16	34.66	204.00	345.00
05-04-2007	13.83	36.50	191.66	329.33
09-04-2007	10.83	31.00	210.66	331.66
12-04-2007	11.83	32.66	192.00	322.00
16-04-2007	16.00	38.75	222.50	339.00
19-04-2007	11.16	31.00	206.33	343.33
23-04-2007	14.00	36.16	219.66	334.00
26-04-2007	11.83	34.33	203.00	305.00
30-04-2007	13.50	36.33	226.33	331.00
03-05-2007	11.66	33.50	132.33	307.66
07-05-2007	13.33	33.83	185.66	313.00
10-05-2007	12.50	33.83	251.00	384.66
14-05-2007	11.50	32.66	196.66	332.00
17-05-2007	12.50	36.50	164.66	289.33
21-05-2007	13.00	38.66	141.50	283.50
24-05-2007	14.33	33.16	191.66	317.00
28-05-2007	14.16	33.33	143.66	271.00
31-05-2007	17.00	37.00	139.50	261.00
04-06-2007	12.66	33.33	152.00	255.66
07-06-2007	14.33	35.33	139.00	247.00
11-06-2007	13.66	35.83	135.33	239.66
14-06-2007	15.00	36.16	142.66	248.66
18-06-2007	13.00	34.00	115.00	224.00
21-06-2007	13.00	36.00	139.00	247.00
28-06-2007	12.50	32.00	113.00	184.00
05-07-2007	12.66	32.83	170.66	290.66
09-07-2007	12.66	34.33	129.50	249.00
12-07-2007	09.33	31.66	125.50	235.00
19-07-2007	13.33	35.00	155.00	280.66
23-07-2007	14.00	37.00	137.00	245.00
26-07-2007	12.33	33.66	129.50	224.50
30-07-2007	07.66	30.66	128.50	217.50
02-08-2007	12.33	37.66	145.00	243.50
09-08-2007	13.16	34.33	143.00	267.33
16-08-2007	13.50	36.16	142.66	260.66
23-08-2007	09.66	32.33	144.50	258.50
30-08-2007	11.75	33.75	163.00	301.00
03-09-2007	09.66	31.00	145.00	250.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6-09-2007	11.20	32.80	159.00	272.00
10-09-2007	15.00	36.00	189.00	299.00
13-09-2007	12.66	32.66	157.66	276.66
17-09-2007	13.33	31.66	157.33	265.00
20-09-2007	14.00	33.00	192.00	307.00
24-09-2007	09.66	33.33	152.00	281.00
01-10-2007	13.25	33.50	150.50	250.50
04-10-2007	13.16	32.50	199.66	340.33
08-10-2007	12.33	31.83	154.33	278.00
11-10-2007	13.50	33.66	187.00	319.00
15-10-2007	15.16	35.50	185.33	318.66
18-10-2007	14.66	36.16	170.33	303.66
22-10-2007	14.66	35.83	170.00	289.66
25-10-2007	14.33	34.33	181.33	312.33
29-10-2007	13.16	30.66	180.66	308.00
01-11-2007	14.50	37.00	176.50	294.50
05-11-2007	13.33	34.66	176.66	301.66
08-11-2007	14.33	36.66	167.00	297.66
12-11-2007	12.66	32.00	183.33	311.66
15-11-2007	13.66	33.33	176.33	320.33
19-11-2007	14.16	34.66	192.00	330.66
22-11-2007	14.66	34.66	210.00	356.66
26-11-2007	13.66	33.33	198.33	336.66
29-11-2007	14.83	35.33	218.66	370.66
03-12-2007	14.66	34.83	235.00	386.66
06-12-2007	14.66	37.83	204.66	352.00
10-12-2007	14.66	31.83	203.66	332.00
13-12-2007	15.66	35.50	190.33	335.33
17-12-2007	15.50	35.16	190.00	332.33
20-12-2007	16.66	37.50	219.00	363.66
24-12-2007	15.16	34.50	193.66	342.66
27-12-2007	15.50	35.50	204.66	358.00
31-12-2007	17.16	39.50	182.33	319.66
03-01-2008	14.66	34.33	162.00	302.33
07-01-2008	15.83	36.83	187.33	329.33
10-01-2008	14.00	35.00	188.66	331.33
14-01-2008	16.50	37.50	179.66	317.66
17-01-2008	16.33	37.50	157.00	300.00
21-01-2008	17.66	38.50	185.33	339.66
24-01-2008	17.00	38.00	203.66	376.33
28-01-2008	18.66	39.50	207.33	368.66
31-01-2008	18.83	39.33	186.66	345.00
07-02-2008	15.33	34.66	168.33	298.66
11-02-2008	14.66	35.16	185.00	327.33
14-02-2008	14.50	33.83	195.66	359.66
18-02-2008	15.33	36.50	186.33	336.33
21-02-2008	16.16	38.83	210.33	343.00
25-02-2008	16.66	38.66	170.33	300.00
28-02-2008	18.00	40.00	177.66	322.66
03-03-2008	15.33	36.33	202.00	331.66
17-03-2008	15.33	35.16	187.00	327.33
20-03-2008	14.00	33.00	189.00	347.33
24-03-2008	17.33	37.66	176.00	311.66
27-03-2008	13.75	36.25	191.50	340.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31-03-2008	16.33	35.00	162.66	291.00
03-04-2008	15.50	45.50	242.33	453.66
07-04-2008	15.83	48.33	228.66	433.66
10-04-2008	14.83	46.00	222.00	431.66
17-04-2008	14.50	45.66	223.00	443.66
21-04-2008	17.83	48.50	238.00	437.00
24-04-2008	16.66	47.66	243.00	450.66
28-04-2008	17.50	50.16	222.66	421.00
01-05-2008	18.66	46.50	257.66	471.66
05-05-2008	18.00	45.50	228.00	428.00
08-05-2008	16.33	45.16	252.00	483.66
12-05-2008	19.33	46.66	283.66	514.66
15-05-2008	17.50	40.66	278.66	524.00
22-05-2008	19.00	46.83	280.66	525.00
29-05-2008	19.33	49.50	281.66	522.33
02-06-2008	21.00	50.25	273.00	537.50
05-06-2008	23.33	55.33	256.50	454.00
09-06-2008	21.33	54.66	204.00	423.00
12-06-2008	17.16	48.00	287.00	516.66
16-06-2008	14.00	42.83	288.00	503.66
19-06-2008	18.66	46.33	261.66	475.00
23-06-2008	17.50	48.00	179.50	332.50
26-06-2008	20.50	52.00	162.00	313.00
10-07-2008	18.00	47.00	271.00	340.00
14-07-2008	18.33	44.50	221.33	414.33
17-07-2008	15.66	39.83	229.00	392.00
21-07-2008	12.25	36.75	190.00	337.00
24-07-2008	20.16	44.50	217.33	360.66
28-07-2008	21.33	46.33	133.00	248.50
04-08-2008	16.50	47.50	135.00	275.00
14-08-2008	13.00	40.00	129.00	241.00
18-08-2008	19.16	43.00	174.66	302.00
21-08-2008	18.50	42.16	159.00	280.66
25-08-2008	20.00	44.16	186.33	314.00
23-10-2008	19.66	41.83	258.66	435.00
27-10-2008	20.16	41.83	274.66	476.66
30-10-2008	20.16	43.00	236.66	458.66
03-11-2008	19.33	42.83	234.66	396.33
06-11-2008	18.33	42.66	285.33	500.00
10-11-2008	20.66	45.33	251.66	452.33
17-11-2008	19.66	43.66	252.00	474.66
24-11-2008	21.33	45.16	244.66	448.00
27-11-2008	22.16	47.00	231.66	441.00
01-01-2009	19.50	43.66	228.00	475.33
05-01-2009	20.33	44.83	248.66	478.66
12-01-2009	21.50	46.33	256.00	480.33
15-01-2009	22.00	46.33	277.00	500.00
19-01-2009	23.00	49.00	270.66	516.33
22-01-2009	23.00	47.33	276.33	511.66
29-01-2009	23.33	48.50	299.66	569.00

प्रपत्र "ब"

परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणाम औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा

दिनांक	एस. पी. एम. (माइक्रोग्राम/घनमीटर) मानक-500 (माइक्रोग्राम/घनमीटर)
(1)	(2)
21-06-2007	525.00
23-08-2007	779.70
07-11-2007	618.00
	560.00
29-01-2008	574.12
08-02-2008	516.00
24-03-2008	547.29
10-01-2009	591.73